संख्या:161/2026/914/35-4-2026/35-4002(099)/1/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 23 जून, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना स्वीकृत कार्यों के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-108/2026/605/35-4-2026/35-4002(099)/1/2026 दिनांक 31 मार्च, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत 155 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2026 की तालिका में क्रमांक-77 पर अंकित कार्य की कस्बा किठौर में मोटडे खालिद के बाग से ग्राम बहरौडा तक सी०सी० इन्टरलॉकिंग व सी०सी० का निर्माण कार्य (लम्बाई-1850 मीटर) के नाम से रू. 63.52 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 16.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।

2- आपके पत्र संख्या-147/डी0एस0टी0ओ0/त्व0आ0वि0यो0/2025-26 दिनांक 11-05-2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश संख्या-108/2026/605/35-4-2026/35-4002(099)/1/2026 दिनांक 31 मार्च, 2026 की तालिका के क्रमांक-77 पर स्वीकृत कार्य के नाम को एतदद्वारा कस्बा किठौर में मोटडे खालिद के बाग से ग्राम बहरौडा तक सी०सी० इन्टरलॉकिंग व पी०सी० का निर्माण के नाम से संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2026, उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या: 161/2026/914(1)/35-4-2026/35-4002(099)/1/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण/नगर विकास विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, मेरठ मंडल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ/हापुड़।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

13- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, मेरठ/हापुड़।
15- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मेरठ/हापुड़।
16- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, मेरठ/हापुड़।
17- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।